मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (तृतीय वर्ष)

(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित)

Bachelor of Social Work (Third Year)

(With Specialization in Community Leadership)

मॉड्यूल–21 (1)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

(Practical Work Manual)

पर्यावरण, जैव–विविधता, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कानून और कार्यक्रम

प्रायोजक

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

संचालन

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.) - 485334

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-21 (1)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

Practical Manual

पर्यावरण, जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कानून और कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (तृतीय वर्ष)

नेतृत्व विकास में विशेषज्ञता सहित

Bachelor of Social Work (Third Year)

With Specialization in Community Leadership

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अवधारणा एवं रूपरेखा :– **संस्करण 2017**

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा :–

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

संकलन एवं लेखनः–

सचिन कुमार जैन, विकास संवाद, भोपाल

राकेश कुमार मालवीय, विकास संवाद, भोपाल

संपादन

डॉ. अमरजीत सिंह

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

सहयोग

विकास संवाद, मध्यप्रदेश, स्पंदन)खंडवा(और यूनीसेफ

मुद्रक एवं प्रकाशकः–

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद्

ई–मेल tmprajapbho@mp.gov.in मोबाइल– 9425301058

कॉपीराइटः © – महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

पुस्तिका की सामग्री

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

भारत में पर्यावरण कानून का इतिहास 125 वर्ष पुराना है। इस दिशा में सन् 1894 में पास हुआ **वायु प्रदूषण नियंत्रणकारी कानून** देश का पहला कानून था। आज जबकि बढ़ता हुआ प्रदूषण संपूर्ण मानव–जाति के लिए अभिशाप बन गया है। मानव के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव भी प्रदूषण से त्रस्त हैं। इसी कारण पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। न केवल नीतिगत रूप से बल्कि इस समस्या से निपटने के लिए समय–समय पर कई कानून भी बनाए गए हैं। ऐसा ही एक कानून है पर्यावरण (रक्षा) अधिनियम (ईपीए), 1986।

संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून, 1972 में स्टाकहोम में हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित तथा पूरे देश में 19 नवम्बर, 1986 से लागू किया गया। यह एक व्यापक अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. **पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना**
2. **मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना**
3. **मानव, प्राणियों, जीवों, पादपों को संकट से बचाना**
4. **पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना**
5. **मौजूदा कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्रधिकरणों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय करना**

इसके द्वारा केन्द्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण व सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारित करने, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने, दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने तथा हानिकारक तत्वों का निपटान करने, प्रदूषण के मामलों की जांच एवं शोध कार्य करने, प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण करने, प्रयोगशालाओं का निर्माण तथा जानकारी एकत्रित करने के कार्य सौंपे गए हैं। इस कानून की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को इस कानून का पालन न करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 48 'क' में पर्यावरण संरक्षण को राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में सम्मिलित करते हुए यह कहा गया है कि

''राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा''

कालांतर में एक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 'क' के खंड (छ) में इसे एक मूल कर्तव्य के रूप में सन्निहित करते हुए व्यवस्था की गई कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह –

'प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी आते हैं, रक्षा करे,उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।'

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत सरकार ने सन् 1972 ई० में वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़–मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित किया था। इसे सन् 2003 ई० में संशोधित किया गया है और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 रखा गया जिसके तहत इसमें दण्ड तथा जुर्माना और अधिक कठोर कर दिया गया है। 1972 से पहले, भारत के पास केवल पांच नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। अन्य सुधारों के अतिरिक्त, यह अधिनियम संरक्षित पौधों और पशु प्रजातियों की अनुसूचियों को तैयार करने तथा इन प्रजातियों की कटाई व शिकार को मोटे तौर पर गैरकानूनी घोषित करता है।

यह अधिनियम वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। यह जम्मू और कश्मीर, जिसका अपना पृथक वन्यजीव कानून है, को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।

पर्यावरण में कानून की आवश्यकता

पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटिशकाल में भी कुछ कानून बने थे, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण संबंधी 40 वां संविधान संशोधन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके अनुच्छेद 48 'ए' के अनुसार सरकार देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। 42 वें संविधान के अच्छेद 51 'ए' (जी) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और उनका सुधार करें तथा प्राणीमात्र के प्रति दया–भाव रखें। इसी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सन् 1980 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई।

कानूनी स्थिति (Legal Status)

प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई देशों विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के साथ ही प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कानून बनाए हैं। पर्यावरण कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त रखना है। भारतीय समाज में धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण यहां प्राकृतिक संसाधन (पौधे, जंतु, नदियां) पूजे जाते हैं। इसी कारण, प्राचीनकाल में पर्यावरण रक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई थी, लेकिन पिछली सदी से पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी संख्या में कानून बनाए गए। ये सभी कानून तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं–

1. सामान्य कानून,
2. विनियामक कानून और
3. विशेष विधान।

1. सामान्य कानून (Common Laws)

सामान्य कानून इंग्लैंड के परंपरागत कानून की व्याख्या है। यह न्यायिक निर्णयों पर आधारित है और अभी तक लागू है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 सामान्य कानून पर आधारित है। इस कानून के अंतर्गत किसी संपत्ति या व्यक्ति की हानि का कारण बने किसी भी कार्य के विरुद्ध प्रभावित पक्ष क्षतिपूर्ति या निषेधाज्ञा या दोनों का दावा कर सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्न तीन कारक जिम्मेदार हैं–

(क) व्यवधान,

(ख) अतिक्रमण,

(ग) लापरवाही

2. विशेष विधान (Specific Legislations) – जल एवं वायु प्रदूषण।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)- भारतीय संविधान विश्व का ऐसा पहला संविधान है, जिसमें पर्यावरण के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह सुनिश्चित करती है कि हमारा देश समाजवादी समाज की अवधारणा पर आधारित है, जहां राज्य व्यक्ति की अपेक्षा सामाजिक समस्याओं को प्राथमिकता देता है। समाजवाद का मूल लक्ष्य है, सभी को जीवन का सुखद स्तर उपलब्ध करवाना, जो केवल एक प्रदूषण मुक्त वातावरण में ही संभव है।

3. प्रदूषण नियंत्रण कानून (Pollution Control Legislation)- भारत में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न कानून बनाए गए हैं

जल प्रदूषण अधिनियम (The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act)

यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया है, जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों को अधिकार एवं कर्तव्य प्रदत्त किए गए हैं।

प्रदूषण से तात्पर्य जल का अशुद्धिकरण अथवा उसमें भौतिक, रासायनिक या जीव विज्ञानी परिवर्तन करना है अथवा सीवेज (Sewage) या कोई अन्य औद्योगिक, कृषि या किसी अन्य न्यायसंगत कार्य के लिए अयोग्य या पशु–पक्षी अथवा जलीय वनस्पति के लिए अयोग्य कर दें।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 नामित अधिकारी, 5 नामित राज्य बोर्ड अधिकारी, 3 नामित गैर–सरकारी व्यक्ति, 2 नामित औद्योगिक इकाई प्रतिनिधि तथा 1 पूर्णकालिक सचिव होगा।

राज्य बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 राज्य सरकार नामित अधिकारी, 5 नामित राज्य बोर्ड अधिकारी, 3 नामित गैर–सरकारी व्यक्ति, 2 नामित औद्योगिक इकाई प्रतिनिधि तथा 1 पूर्णकालिक सचिव होगा।

सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। बोर्ड की मीटिंग 3 माह में कम–से–कम एक बार होगी।

केन्द्र विशेष कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है, जिसमें बोर्ड तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं।

केंद्रीय बोर्ड के कार्य

1. केन्द्र सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना।
2. राज्य बोर्डों के कार्यों का एकीकरण।
3. राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण जांच और शोध–कार्य में सहायता प्रदान करना।
4. जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग।
5. जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण को प्रदान करना।
6. संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।
7. सरकार की सहायता से जल में मानक करना तथा समय–समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना।
8. जल प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना।

राज्य बोर्ड के कार्य

1. राज्य सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम का संचालन।
2. राज्य सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना।
3. जल प्रदूषण संबंधी राज्य स्तर पर सूचनाएं एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।
4. जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान कराना।
5. विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना।
6. सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना।
7. जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना।
8. जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना।
9. सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोग प्रयोग ज्ञात करना।
10. सीवेज एवं उत्सर्ग हटाने के उचित तरीके निकालना।
11. उपचार के मानक स्थापित करना।
12. सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना, जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ रहे हों।
13. बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग से उत्सर्ग जल का नमूना ले सकते हैं।
14. बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं।
15. किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषाक्त नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है।

16. नियमों का उल्लंघन करने पर तीन माह की कैद तथा जुर्माने या दोनों का प्रावधान हैं।

17. कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

भारत का संविधान और पर्यावरण संरक्षण

हमारे संविधान के आर्टिकल–48–अ में कहा गया कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार आर्टिकल–51–अ में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य मानते हुए यह प्रावधान किया गया है कि –

'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।'

संविधान के इन्हीं प्रावधानों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1995, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000, रसायन दुर्घटना आपात योजना तैयारी और अनुक्रिया नियम 1996 जैसे अलग–अलग अधिनियमों को बनाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद–21 में जीवन जीने के अधिकार में मानव स्वास्थ्य कल्याण के लिए पर्यावरण को प्रमुख घटक माना गया है। पर्यावरण संरक्षण सरकार एवं न्यायालय का दायित्व बताया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सफाई एवं पर्यावरण शुद्धता को शामिल करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित एवं प्रभावित व्यक्ति प्रतिकार पाने का हकदार है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 19 नवम्बर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इसके अनुसार पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य पर्यावरण में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषण का विद्यमान होना शमिल है तथा पर्यावरण से अभिप्राय जल, हवा और भूमि तथा जल, भूमि और हवा तथा मानवीय प्राणी अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सुक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में और उनके बीच विद्यमान अंतर्संबंध शामिल हैं।

शक्तियां एवं प्रावधान

इस अधिनियम की धारा–3 में केन्द्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, अपशमन के लिए उपाय करें। इनमें पर्यावरण के मानक निर्धारित करना और प्रदूषण को दूर करने के उपाय शामिल हैं। इस संबंध में न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर नोटिस जारी किए गए हैं। जिसके उल्लंघन पर धारा 15, 16 में दण्ड के प्रावधान दिए गए हैं।

न्यायालय द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से हुई हानि के लिए राहत और प्रतिकर देने, दुर्घटना से प्रभावी रूप से शीघ्र निपटने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 को राष्ट्रपति के द्वारा दिनांक–17.06.1995 को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत पर्यावरण दुर्घटना से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संबंधी विधि की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अधिकरण की स्थापना की जाएगी जो दावों की सुनवाई करेगी।

अनुसूचियां –

इसमें कुल 6 अनुसूचियां है जो अलग–अलग तरह से वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करता है–

1. अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 के द्वितीय भाग वन्यजीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते है, इनके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित है।
2. अनुसूची–3 और अनुसूची–4 भी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इनमे दंड बहुत कम हैं।
3. अनुसूची–5 में वह जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है।
4. अनुसूची–6 में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक है।

अपराध और दण्ड विधान – उन अपराधों के लिए जिसमें वन्य जीव (या उनके शरीर के अंश) जो कि इस अधिनियम की सूची 1 या सूची 2 के भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, उनके अवैध शिकार, या अभ्यारण या राष्ट्रीय उद्यान की सीमा को बदलने के लिए दण्ड तथा जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अब कम से कम कारावास 3 साल का है जो कि 7 साल की अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और कम से कम जुर्माना 10,000 रुपए है। दूसरी बार इस प्रकार का अपराध करने पर यह दण्ड कम से कम 3 साल के कारावास का है जो कि 7 साल की अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और कम से कम जुर्माना 25,000 रुपए है।

प्रदूषण के प्रकार

वह तत्व या प्रदूषण जो जलवायु और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वह प्रदूषण हैं। इसमें कई प्रकार हो सकते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से चार प्रकार का माना गया है –

1. जल प्रदूषण
2. वायु प्रदूषण
3. पर्यावरण प्रदूषण
4. ध्वनि प्रदूषण

जल प्रदूषण (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1924

जल प्रदूषण से तात्पर्य जल से सम्बन्धित ऐसा कोई कार्य या प्रयोग करने से है जिससे प्रकृति में अवरोध पैदा हो या मानव जीवन पशु पक्षी, पौधों या जलीय पौधों का जीवन और स्वास्थ्य संकट में पड़ जाए। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जल प्रदूषण जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में विपरीत परिवर्तन लाने वाला कार्य है। यह जल की गुणवत्ता में कमी लाता है और इसके उपभोग को हानिकर बनाता है। यह प्रदूषण किसी भी वाह्य पदार्थ द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चाहे वे प्राकृतिक स्त्रातों से उत्पन्न हो या मानवीय कृत्यों के परिणाम हो। प्रदूषित जल मानव सहित जीव–जन्तुओं व जलीय जीवों के लिये हानिकर हो जाता है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण से तात्पर्य वातावरण में वायु प्रदूषक का विद्यमान होना है। वायु प्रदूषक से अभिप्राय मानव जीवन, अन्य जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीवाणु, सम्पति अथवा पर्यावरण के लिए हानिकर होने वाले संकेन्द्रण में विद्यमान ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ अर्थात ध्वनि से है।

वायु प्रदूषण के अनेक स्त्रोत हैं, जैसे –

1. ताप, बिजली घर इत्यादि द्वारा उगली गई कालिख, राख आदि।
2. परिवहनों द्वारा छोड़ा गया सीसा (लेड) कार्बन मोनोआक्साइड गैस आदि।
3. रासायनिक उर्वरक कारखानों से निकलने वाला अमोनिया, हाइड्रोकार्बन आदि।
4. जीवनाशी रसायनों का प्रयोग
5. नगरपालिकाओं के बड़े–बड़े प्रदाह संयत्र।
6. सूती मिलों से निकलने वाले अवशेष आदि।
7. सीवर नालियों और मैनहोल।
8. घरेलू वायु प्रदूषक जैसे– तम्बाकू, सिगार, हुक्का, बीड़ी आदि से निकलने वाला धुंआ।

वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम –

वायु प्रदूषण ज़ीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इससे ह्रदय रोग, टीबी, श्वांस रोग आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत दण्ड की व्यवस्था की गई है।

ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण यानि तय स्तर से अधिक शोर। ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं जैसे उद्योग, रेडियो, टेलीविजन, मिलों के सायरन, लाउडस्पीकर, मोटर गाडियां, रेल परिवहन, वायुयान, विस्फोट, गोलीबारी, बैण्ड बाजा, डीजे आदि।

ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम –

ध्वनि प्रदूषण के अनेक गंभीर दुष्परिणाम हैं जैसे–

1. बातचीत में व्यवधान
2. नींद में व्यवधान
3. कान के पर्दों का फट जाना
4. स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना
5. ह्रदय की बीमारियों का हो जाना

6. भोजन नली व आंतों में मरोड़ उत्पन्न होना

7. गर्भस्थ शिशु में जन्मजात दोष उत्पन्न हो जाना आदि।

ध्वनि प्रदूषण का निवारण

ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए सन् 2000 में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम बनाए गए हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा को निर्धारित किया गया है। क्षेत्रों को चार भागों में बांटा गया है– औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं शान्त क्षेत्र। इनमें भी दिन एवं रात्रि के समय ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रकार प्रदूषण निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। हमारी न्यायपालिका ने समय–समय पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये अनेक उपाय किए हैं। मसलन, ताजमहल के सौन्दर्य को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक कारखाने बन्द करवाए। गंगा के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए अनेक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

जलवायु परिवर्तन क्या, क्यों और कैसे ?

जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना

आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि अपने गांव/इलाके में पिछले कुछ सालों में बार–बार सूखा पड़ रहा है। हो सकता है कि बार–बार बाढ़ आ रही हो। यह भी देखने में आया है कि अब गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कि इतनी पहले कभी नहीं पड़ी। किन्ही क्षेत्रों में अब ठण्ड पहले से ज्यादा पड़ रही है। हम सब जानते हैं कि मावठा गिरना कितना जरूरी है, पर कभी मावठा गिरता है कभी बिलकुल नहीं गिर रहा है। सर्दी के मौसम में बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हो जा रही है कि उससे बहुत नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर ठण्ड के मौसम में ही आम के बौर आ रहे हैं। क्या यह सब सामान्य मौसम के लक्षण हैं ?

पिछले कुछ दशकों से हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, कार्बन ट्रेडिंग, आदि शब्दों को सुन रहे हैं। इन शब्दों के मतलब क्या हैं ? क्या हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की है ? क्या हमने कभी इन शब्दों के बारे में अपने आसपास के लोगों से बात की है ? हमारे लिए इनका मतलब जानना क्यों जरूरी है ? जलवायु परिवर्तन से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा ? क्या जलवायु परिवर्तन को रोकने में हम कुछ सहयोग कर सकते हैं आदि कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, जब हम टी.वी., रेडियो या अखबार में इनके बारे में देखते सुनते या पढ़ते हैं।

दुनिया में प्रदूषण को कम करने हेतु चेताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें कि इन शब्दों के माध्यम से वैज्ञानिक हमें नाप कर बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितना प्रदूषण हो चुका है ? और अब वह खतरे के निशान से इतना ऊपर पहुंच चुका है कि इसके कारण वातावरण में तपन और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर मौसम पर हुआ, मौसम का असर पेड़–पौधों और जंतुओं पर पड़ रहा है। कई पेड़–पौधे, जीव–जंतु, कीट पतंगे, पक्षी जो पहले कभी हमारे खेतों और घरों के आसपास दिखाई देते थे, अब हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहां गए ये सब ? क्यों गायब हो गए ? क्या कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है ?

मानव सभ्यता के 10000 सालों में इतनी तपन कभी नहीं बढ़ी जितनी कि 20वीं सदी के आखिरी दशक में और 21वीं सदी के पहले दशक में हुई है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक लगातार इस ओर ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग लालच और अधिक लाभ कमाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में पिछले 150 सालों से मनुष्य ने जो हठधर्मिता अपनाई है, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं।

मौसम में अब बहुत उतार–चढाव दिखाई दे रहे हैं– जैसे कहीं बार–बार बाढ़ आना तो कहीं लगातार सूखा पड़ना आदि घटनाओं को हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार देख रहे हैं। यह सब अचानक नहीं बदला है। दुनिया में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड गैस की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है, इसी के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली एक सदी में धरती के औसत तापमान में 0.74 डिग्री की वृद्धि हुई है। इसके चलते विश्व की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में दिन–प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है।

कोपेनहेगेन में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इण्डेक्स–2010 द्वारा जारी सूची में भारत उन दस देशों में है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक ठंड के दिनों का तापमान 3. 2 डिग्री और गर्मी का तापमान 2. 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इससे मानसून की बारिश कम हो सकती है और ठंड में होने वाली वर्षा (माहुठे की बरसात) में भी कमी हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षा के समय में बदलाव की आशंका भी जताई जा रही है। इसका सीधा असर फसल चक्र पर पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन के कौन–कौन से असर हमें हमारे आसपास गांव, खेत, जंगल, नगर आदि पर दिखाई देते हैं और इससे कौन–कौन सी चीजों पर असर हुआ है जैसे बिंदुओं पर समुदाय के साथ बातचीत करके समझें और प्रमुख बिंदुओं को नोट करें, उदाहरण के लिए कुछ परिस्थितियों और परिवर्तनों को यहां दिया जा रहा है। इन बिंदुओं के आधार पर अपने क्षेत्र में हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए समुदाय के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करें। और समुदाय के साथ मिलकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

कृषि उपलब्धता, उपभोग और संकट –

मौसम और मानसून का चक्र बिगड़ने का सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ा है। बड़ी संख्या में परंपरागत रूप से होने वाली फसलों का नामोनिशान मिट गया है। इनमें कोदों, कुटकी, सावां, मक्का, ज्वार, बाजरा, पिसी (स्थानीय देशी गेहूं) सरीखी कम पानी और रासायनिक खादों के बिना पैदा होने वाली कई फसलें खत्म हो गई हैं। कई फसलों के तो अब बीज भी नहीं बचे हैं। इनकी जगह अब नई उन्नत फसलें उगाई जाने लगीं हैं। इन फसलों के लिए उन्नत बीज, बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इससे खेती का खर्च बढ़ा है और खेती के तरीकों में बदलाव आया है। खेती अब बैल और जानवरों के बजाय मशीनों से की जाने लगी है, इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। इसका सीधा असर किसानों के जीवन स्तर और रहन–सहन पर पड़ा है। खेती में उपज तो बढ़ी, लेकिन लागत कई गुना अधिक हो गई, इस कारण खेती घाटे का व्यवसाय बन गई है, और किसान खेती छोड़कर अन्य धंधों या मजदूरी करने को मजबूर हो गया है।

जल की उपलब्धता और उपभोग

हमारी धरती पर जल का अथाह भंडार है। पृथ्वी पर कुल 70 प्रतिशत पानी है, यह पानी विभिन्न स्वरूपों जैसे समुद्र, नदी, तालाब, झरनों, बादलों और भूगर्भ जल और ऊंची पर्वत मालाओं पर जमी हुई बर्फ के रूप में पाया जाता है। इसमें से अधिकांश पानी समुद्री खारे पानी के रूप में है और शेष हिस्सा यानी मात्र 2.5 प्रतिशत जल जो नदी, तालाब, झरनों एवं भूगर्भ जल आदि रूप में मीठे जल के रूप में पाया जाता है। ऊंची पर्वत मालाओं जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, जमुना वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं क्योंकि पर्वतों पर जमी हुई बर्फ धीरे–धीरे पिघलती है और नदियों में वर्ष भर पानी प्रवाहित होता रहता है। इसी तरह जंगल और पर्वतमालाएं भी बरसात में पानी को सोख लेते हैं जो कि बाद में धीरे–धीरे झरने या जल धाराओं के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। हमारे मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जबकि अन्य कई नदियां मौसमी नदियाँ हैं। इनमें बरसात के मौसम में पानी आता है और बाकी समय सूखी रहती हैं। इस जल का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यो, पीने, कृषि में सिंचाई और उद्योगों के लिए करते हैं।

बर्फ से ढंकी हुई पर्वतमालाएं और ग्लेशियर सूर्य की गर्म किरणों को वापस रिफलेक्ट करने यानी वापस भेजने का काम भी करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।

पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण बड़े–बड़े हिमखंड और ग्लेशियर (बर्फ के पहाड़) पिघल रहे हैं। और इनका पानी बहकर खारे समुद्र में मिलकर खारा हो रहा है, यानी पीने के काम में आने वाला पानी कम हो रहा है। इसके साथ ही बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से जो पानी समुद्र में मिल रहा है, उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के किनारे बसे देश–राज्य डूब रहे हैं। वर्तमान में विश्व में 40 प्रतिशत से भी कम मीठा पानी बचा है। कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में आई बाढ़ ने हमें चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते हमने पृथ्वी के तापमान को कम नहीं किया तो इससे भी ज्यादा भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

भूगर्भ जल जो कि प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, पिछले दो दशकों में हमने इसको भी लगभग समाप्त कर दिया है। आज उद्योगों उपयोग के लिए और घर–घर ट्यूबवेल और बोरवैल के बोर किए हुए हैं, जिनसे अंधाधुंध पानी निकाला जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पहले जहां 35 से 50 फुट पर पर्याप्त पानी निकल आता था, वहीं आज 400 से 500 फुट पर भी पानी नहीं है। हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछले 10 वर्षों से सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका असर खेती और आजीविका पर हुआ है, यहां से अधिकांश छोटे और सीमान्त किसान मजदूरी एवं अन्य कार्यो के लिए पलायन करके अन्य शहरों और प्रदेशों में जाने लगे हैं। यही स्थिति प्रदेश में अन्य संभागों के गांवों की भी है।

औद्योगिकीकरण के परिणाम भयानक रूप से सामने आ रहे हैं उद्योगों से निकलने वाला वेस्टेज (ठोस कचरा और गन्दा पानी) और गंदगी सीधे नदियों में मिलाई जा रही है। इस कारण जीवनदायिनी नदियों का पानी भी अब जहरीला हो गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण हमारे प्रदेश, देश ही नहीं पूरे विश्वद में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। समय रहते उपरोक्त परिस्थितियों को सुधरने के लिए हम सभी को अपने–अपने स्तर पर उचित कदम उठाने होंगे नहीं तो विनाश सुनिश्चित है।

जंगल की उपलब्धता और उपभोग

जंगल हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि भूमि के कटाव को रोकते हैं और बरसात को लाने में भी सहायक होते हैं। जिन स्थानों पर पेड़–पौधे और जंगल अधिक होते हैं, उन स्थानों पर बरसात भी अधिक होती है। जंगल मौसम में नमी को बनाए रखते हैं, जिस कारण मौसम बहुत ज्यादा शुष्क नहीं हो पाता है और जल का वाष्पीकरण कम होता है। इसके साथ ही पेड़–पौधे वातावरण में मौजूद कार्बन डाईऑक्साइड को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया से ही वे अपना भोजन तो बनाते ही हैं, साथ ही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी ऑक्सीजन गैस भी देते हैं।

औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के लगातार बढ़ने के कारण वनों की कटाई निरंतर जारी है। विश्व स्तर पर हर साल 63000 वर्गमील जंगल नष्ट हो रहे हैं। लालच से भरपूर लाभ लेने का आलम यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ जंगल काटते ही जा रहे हैं, परिणामस्वरूप पृथ्वी पर कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ा है जो कि तापमान के बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक है।

जंगलों को काटा जाना तो एक कारण है, लेकिन साथ ही दूसरा एक कारण यह भी है कि हर स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां उस स्थान के मौसम, पानी, हवा, मिट्टी और तापमान के अनुकूल होते हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण और अधिक आर्थिक लाभ कमाने की चाह ने विश्व स्तर पर ऐसे पौधों को प्रसारित किया जो कि कम समय में जल्दी बड़े हों और ज्यादा उत्पादन दें, ऐसे पौधे कई बार अपने आपको स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाए और नष्ट हो गए। स्थानीय प्रजातियों जो कि शायद ज्यादा आर्थिक लाभ की नहीं मानी गई, उनको उगाने या उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे प्रदेश में भी ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, कोई जगह जो पहले बांस के जंगल के लिए जानी जाती थी, अब वहां एक भी बांस नहीं है, कुछ जगह साल की लकड़ी के लिए जानी जाती थी पर अब वहां पर साल के पेड़ भी नहीं है और कोई दूसरे पौधे भी नहीं हैं। चंदन, चिरोंजी, महुआ, आदि के पेड़ भी कम हुए हैं।

औद्योगिकीकरण और परिवहन/कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग

अधिकांश उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, जब कोयला जलता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाई आक्साइड और अन्य हानिकारक गैसे पैदा होती हैं। औद्योगिकीकरण पर्यावरण को दो तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, एक – तो ईंधन के लिए जमीन में दबा हुआ कोयला निकालने के लिए अंधाधुंध खुदाई की जा रही है, दो – उद्योगों में कोयला जलाने से धुंए के रूप में वातावरण को हानि पंहुचाने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है।

इसी तरह परिवहन के लिए उपयोग होने वाले वाहनों जैसे मोटर साइकल, स्कूटर, कार, टैम्पो, बस, ट्रक, ट्रेन, जहाज और हवाई जहाज आदि वाहनों में पेट्रोलियम पदार्थों जैसे डीजल, पेट्रोल, वायुयान ईंधन का उपयोग किया जाता है। परिवहन के लिए उपयोग करने वाले वाहनों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग सर्वाधिक यानी 96 प्रतिशत होता है। इन वाहनों से सबसे ज्यादा कार्बन डाई आक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है। आप जानते हैं कि फ्रिज और एयरकंडीशनर का उपयोग भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार की योजनाएं

जलवायु परिवर्तन से निपटने यानि पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनके सही क्रियान्वयन में सहयोग करना और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलवाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हमें अपने कार्य के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में सहयोगी विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाना होगा और उनकी योजनाओं को समुदाय तक पहुचाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण से सम्बंधित समुदाय की और स्थानीय जरूरतों को विभागों तक पहुंचाना होगा ताकि विभाग की कार्य योजना में उसे शामिल किया जा सके।

महात्मा गाँधी रांष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, और कृषि विभाग की कुछ योजनाएं यहां दी गई हैं इनके साथ ही उद्यानिकी, उर्जा विभाग पंचायतराज और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का अध्ययन भी करें ताकि अपने क्षेत्र में उन योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर कार्य कर सकें।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के तहत संचालित योजनाएं

यह योजना भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005' के तहत संचालित है, जिसमें अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए कई उप योजनाएं हैं इनमें से कुछ हितग्राही मूलक योजनाएं भी हैं।

इन योजनाओं के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की स्वयं की कृषि भूमि के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा के कार्य किए जाते हैं।

नंदन फलोद्यान योजना– पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीणों के लिये आय सृजन का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिये संचालित की गई। योजना के तहत ऐसे हितग्राही जो अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करने के लिए इच्छुक हैं उनको रोजगार की माँग के साथ ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। ग्राम पंचायत प्राप्त प्रस्तावों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगी। ग्रामसभा वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था वाले प्रस्तावों को प्रथम प्राथमिकता और जिनके पास सिंचाई व्यवस्था नहीं है उनको सशर्त द्वितीय प्राथमिकता क्रम में रखेगी, जिसमें कपिलधारा योजना के प्रावधानों के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना शामिल होगा। परियोजना के लिए राशि की कोई सीमा बंधनकारी नहीं है।

कपिलधारा योजना – कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता और कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार के लिये कपिलधारा योजना संचालित की गई है। योजना के तहत हितग्राही परिवार को कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में नवीन कुआं–भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था के साथ, खेत–तालाब, मैसेनरी चेक डेम, स्टाप डेम, आरएमएस और लघु तालाब निर्माण का प्रावधान है। योजना के तहत ऐसे हितग्राही परिवार का चयन किया जाएगा, जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि में पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है। हितग्राही परिवार का एक सदस्य न्यूनतम पांचवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, किन्तु सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। योजना से लाभान्वित होने के लिए हितग्राही को ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा, इसमें प्रस्तावित कार्य के आकार का भी अनुमानित विवरण देना होगा। प्राप्त प्रस्तावों का ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन किया जाएगा, जिसका जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है।

सामुदायिक विकास कार्य– योजना के तहत श्रममूलक सामुदायिक विकास कार्य के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन, सूखा रोकने, वनरोपण/वृक्षारोपण, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं माध्यम सिंचाई कार्य, परम्परागत बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा, जल–जमाव क्षेत्रों में जल निकासी और बारह मासी सड़कों के रूप में ग्रामीण सड़क सम्पर्क के कार्य किए जाने का प्रावधान है।

योजना में हितग्राही को लाभ– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, भूमि सुधार के हितग्राही और इंदिरा आवास योजना के अधीन हितग्राहियों को स्वयं की कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकसित करने का अधिकार। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकारी। मजदूरी नगद मिलने का अधिकार।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं –

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बलराम ताल योजना :

यह कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना है। सुनिश्चित खेती के उद्देश्य से वर्षा के अपवाहित जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई करने के लिये बलराम ताल योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसान ले सकते हैं। इस योजना में कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में स्वयं के द्वारा बलराम ताल निर्माण पर सामान्य कृषकों को निर्माण लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपए 80000/–, लघु सीमांत कृषकों को निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपए 80000/– तथा अ.जा/अ.ज.जा. के कृषकों को निर्माण लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपए 100000/– का अनुदान दिया जाता है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना :

यह कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना है इस का उद्देश्य समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा भूमि की संरचना में सुधार कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वस्थ्य को बनाएस रखते हुए दीर्घ काल तक टिकाऊ बनाना है। यह योजना पूरे मध्यप्रदेश में संचालित है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसान ले सकते हैं।

राज्य स्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना में किसानो को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम अपने क्षेत्र के कृषि विकास विस्तार अधिकारी (RAEO) और जनपद स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं ।

1. कम्पोस्ट तकनीकी विधियाँ अपनाने के लिए प्रति किसान इकाई की लागत का 50 प्रतिशत या 1000 रुपए जो भी कम हो।
2. वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई बनाने के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत या 3000 रुपए जो भी कम हो।
3. काऊ कम्पोस्ट पिट बनाने के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत या 500 रुपए जो भी कम हो।

4. जैविक कीटनाशक के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत।

5. जैविक हारमोंस के लिए लागत राशि का 50 प्रतिशत।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत बायोगैस

यह कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना है इस का उद्देश्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध करवाना तथा कृषि के लिए उत्तम खाद उपलब्ध कराना। संपूर्ण मध्यप्रदेश में योजना लागू है। इस योजना के लिए पात्र हितग्राही– अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु सीमांत, भूमिहीन मजदूर तथा सामान्य श्रेणी के कृषक हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 से 10 घन मीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु/सीमांत कृषकों तथा/भूमिहीन श्रमिकों को रूपए 3500 व अन्य कृषकों को रूपए 2700 प्रति संयंत्र की दर से अनुदान दिया जाता है। शौचालय से जोड़े गए संयंत्रों पर रूपए 500 प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था है।

जलवायु परिवर्तन और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें
सबसे पहले यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि अपने गांव/बस्ती/इलाके में मौसम में क्या और किस तरह के बदलाव आये हैं ? **गर्मी कितनी और कब पड़ती है ? बारिश कब और कितनी होती है?** **ठण्ड कब और कितनी पड़ रही है ?**	जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी इकठ्ठा करने के लिए आपको समुदाय के बुजुर्गों के साथ छात्र की भांति संवाद करना होगा। याद रखिएगा कि पिछले 2 या 5 सालों के मौसम के बदलाव से जलवायु परिवर्तन को समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको पिछले 40–50 सालों में हुए बदलाव के बारे में ठोस जानकारी इकठ्ठा करना होगी।
अब दूसरे सवाल के रूप में जरा यह पता लगाईये कि मौसम या जलवायु में जो बदलाव आए हैं, उनसे हमारी खेती, पानी, जंगल, हवा, बीमारियों और स्वास्थ्य पर किस तरह के असर पड़े हैं ?	इसके लिए समुदाय के स्तर पर ऐसी चर्चा/बातचीत की प्रक्रिया चलाना होगी, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं/ किसान आदि की सकिय सहभागिता हो।

स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मतलब और इसके प्रभावों को समझना, एक सतत प्रक्रिया के रूप में।	समुदाय के लोगों खासकर, बुजुर्गों, महिलाओं, के साथ बैठकें, और समूह चर्चा करना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए हमें लोगों के साथ अलग–अलग समूह में 3 से 4 बार बैठना पड़ सकता है।
समुदाय के लोगों खासकर, बुजुर्गों, महिलाओं, के साथ बैठकें, और समूह चर्चा करके पता करना कि पिछले 20 साल में अपने गांव के जंगल, पेड़–पौधे, जीव–जंतु, पक्षी, कीड़े–मकोड़े, खेती, पानी की उपलब्धता, और मौसम में क्या बदलाव आया है ?	इन बैठकों में एक ही बार में सभी बिंदुओं पर बात न करें बल्कि एक मीटिंग में एक विषय पर विस्तार से बात करें, और कोशिश करें कि बातचीत सिर्फ बातचीत न होकर कार्ययोजना का रूप ले और लोग उस विषय के लिए काम करने को तैयार और तत्पर हों। इन चर्चाओं से जो भी जानकारी निकल कर आएगी, उसके आधार पर एक दस्तावेज तैयार करिए। आप ड्राइंग शीट पर मौसम में आ रहे बदलावों/मौसम चक्र/फसल चक्र/अन्य समस्याओं पर चित्र बना लें। इन चित्रों/जान्कारियों/दस्तावेजों का उपयोग युवाओं/स्कूल में बच्चों के समूह से जलवायु परिवर्तन पर संवाद करने के लिए करना बहुत उपयोगी होगा।
जंगल पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।	जंगल की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, क्या परिवर्तन आया है ? आपके नजरिए से इस बदलाव के क्या कारण हैं, यदि हम पहले जैसा जंगल बनाना चाहें तो – हमें क्या–क्या सुधार के कार्य करने होंगे। जंगल को बचाने–बढ़ाने के लिए समुदाय क्या सहयोग कर सकता है। इन कार्यों में कौन–कौन लोग सहयोग करेंगे। जंगल को बढ़ाने के लिए सरकार की कौन–कौन सी योजनाएं हैं, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने का तरीका क्या है, उद्यानिकी विभाग की योजनाएं, वन विभाग की योजनाएं, पंचायतराज विभाग की योजनाएं।

खेती पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।

खेती की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, क्या परिवर्तन आया है ? आपके नजरिए में आए इस बदलाव के क्यो कारण हैं ?

खेती की बात करते समय हम निम्न लिखित बिंदुओं से अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं।

कौन–कौन सी प्रमुख फसले उगाई जाती थी, अपने गांव / क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी थी।

जमीन का उपजाऊपन कैसा था ?

फसलों के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, फसलों को कितनी सिंचाई देनी पड़ती थी।

खेती में क्या परिर्वतन आया है ? आपके नजरिए से इस बदलाव के क्या कारण हैं ?

रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता में हुए नुकसानों पर चर्चा।

रासायनिक पद्धति और जैविक पद्धति से फसल उत्पादन में लागत के प्रमुख खर्च जैसे, बीज, खाद, कीटनाशक, श्रम, एवं उत्पादन की मात्र और मूल्य आदि बातों को जोड़ घटाना करके फसल का घाटा, मुनाफा निकाल कर तुलनात्मक चर्चा करना कि खेती के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा फायदेमंद है।

अपने गांव की खेती को बेहतर करने के लिए हमें क्या–क्या सुधार के कार्य करने होंगे।

इन कार्यों में कौन–कौन लोग सहयोग करेंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो अपने खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे।

जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार की कौन–कौन सी योजनाएं हैं, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना।

कृषि विभाग की योजनाएं, इनमें नाडेप, वर्मी कंपोस्टा, एस.आर.आई., एस.डब्लयू आई, मिश्रित फसल बोना, फसल बोने के तरीके, बीजोपचार, जैविक खेती को प्रोत्साहन।

	गोबर गैस योजना : गोबर गैस से निकली स्लरी अच्छी जैविक खाद का काम करती है। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, ऐसे किसानों के खेतों में अन्य किसानों का भ्रमण कराना और इनकी सफलता की कहानियों को प्रसारित करना।
जल की उपलब्धता और उपभोग पर हुए प्रभाव को समझना और स्थिति में सुधार के लिए कार्यवाही करना।	पेयजल, सिंचाई और पशुओं के लिए जल उपलब्धता और उपभोग की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, क्या परिवर्तन आया है? आपके नजरिए से इस बदलाव के क्या कारण हैं ? **जल उपलब्धता और उपभोग की बात करते समय हम निम्नलिखित बिंदुओं से अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं।** • पुराने समय में हमारे पास जल के लिए प्रमुख स्रोत क्या थे, तालाब, नदी, नाले, कुए, हैंडपंप आदि। इनसे हमें वर्ष में कितने माह तक पानी उपलब्ध होता था। • भूमिगत जल के लिए जल स्तर कितना था, यानी कितने फुट पर पानी उपलब्ध था और अब कितना है, • बरसात के पानी को सहेजने के लिए क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था हैं। • पहले बरसात कितनी होती थी, अब कितनी होती है, मानसून कब किस माह में आता था और किस माह तक रहता था, अब किस माह में मानसून आता है और किस माह तक रहता है। मानसून का मिजाज पुराने समय में कैसा था अब कैसा है? • ठंड के मौसम में मावठे की बरसात होती थी, यह किन महीनों में होती थी, अब मावठा किन महीनों में गिरता है। • उपरोक्त बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर उनकी तुलना की जा सकती है कि जल की उपलब्धता और उपभोग की स्थिति में क्या बदलाव आया है और क्यों आया है ? इसके आधार पर हम तय कर सकेंगे कि कौन से बदलाव ऐसे रहे जिनके कारण हमारे प्राकृतिक

संसाधन जल की उपलब्धता में कमी आई है, और यहीं से हमारे जल स्रोतों को संरक्षित करने की योजना हमें बनानी होगी।

- जल संरक्षण कार्य में सहयोग के लिए कौन–कौन सदस्य सहयोग करेंगे।
- हमें इस नीति पर कार्य करना होगा कि, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में।
- कौन लोग अपने खेत के निचले हिस्से में पानी रोकने के लिए तालाब बनाने में सहयोग कर सकते हैं।
- पानी रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक निचली जमीन का उपयोग किया जा सकता है।

जल संरक्षण के लिए सरकार की योजनाएः

- जल संरक्षण के लिए जल संसाधन विभाग की योजनाएं हैं, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना।
- पंचायत राज विभाग से, मनरेगा, एवं अन्य विकास योजनाओं में के अंतर्गत किन खेतों में तालाब, कुंआ, मेढ़बंदी कराई जा सकती है। इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजीव गांधी वाटर शेड मिशन के अंतर्गत हमारे क्षेत्र के लिए क्या योजना है, इस योजना के क्रियान्वयन में हम गांव वालों क्या सहयोग कर सकते हैं। ताकि वाटरशेड का कार्य जल्दी किया जा सके।

औद्योगीकरण और परिवहन के साधनों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव को समझना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों एवं तरीकों को प्रोत्साहन देना।	यह चर्चा करना कि – • हमारे क्षेत्र में कौन–कौन से उद्योग या काम या छोटे धंधे हैं जिनके कारण धुंआ या हानिकारक गैसें उत्सर्जित हो रहीं हैं ? इन गैसों का हमारे स्वास्थ्य पर और वातावरण पर क्या असर हुआ है। • इन स्थितियों को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। • हम कौन से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपना सकते हैं, इसमें कौन–कौन लोग सहयोग करेंगे। • ऊर्जा विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, जैसे सोलर कुकर, धुंआ रहित चूल्हा, चिमनी आदि, इनके लिए पात्र हितग्राही कौन हो सकते हैं, एवं योजना का लाभ लेने के तरीके पर बातचीत और योजना का लाभ लेने में विभाग से संपर्क और सहयोग करना। • पेट्रोल और डीजल की इस खपत को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं? • किन स्थितियों में हम निजी वाहन का उपयोग करें व किन स्थितियों में हम सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। • ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा अपने क्षेत्र में और क्या विकल्प हो सकते है।
युवाओं, बच्चों और स्कूल के समूहों से जलवायु परिवर्तन के विषय पर संवाद करना।	अपने गांव/इलाके के स्कूलों में जलवायु परिवर्तन पर सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। इन सत्रों में अपने इलाकें से जुड़ी हुई जानकारियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिये।

जैव विविधता और समुदाय

स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा, बहाली तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग एवं वनों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना, मरुस्थलीकरण पर काबू पाना, भूक्षरण को रोकना और भूमि संरक्षण की ओर बढ़ना तथा जैव विविधता के बढ़ते ह्रास को विराम देना।

यदि अपने गांव, समुदाय और प्रकृति को स्वस्थ रखना है तो जैव विविधता को बचाना होगा। इसके बिना न तो शरीर खुश रह सकता है, न ही मन। जैव विविधता को नुकसान पहुंचा कर हम सब मांग करने लगते हैं कि अस्पताल चाहिए, और ज्यादा इलाज चाहिए, दवाईयां चाहिए। क्योंकि समुदाय बीमार पड़ता है। यह कोई नहीं कह सकता कि सबको स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बिलकुल मिलना चाहिए पर साथ में यह भी तो सोचा जाना चाहिए कि आखिर हमारा समुदाय और समाज इतना बीमार हो क्यों रहा है? जिस तरह से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे समाज में अशांति बढ़ रही है और शारीरिक मानसिक अस्वस्थता भी। टिकाऊ विकास लक्ष्यों का मकसद एक बेहतर–स्वस्थ–प्रसन्न–समतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया चलाना है। इस नजरिए से समुदाय के बीच हमें कुछ व्यापक पहलुओं पर काम करना होगा। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैव–विविधता का संरक्षण।

जैव–विविधता क्या है ?

जैव–विविधता का मतलब है प्रकृति पर सभी तरह के जीवन। जरा सोचिए कि क्या धरती पर केवल इंसानों का ही जीवन है ? क्या उनकी जरूरतें पूरा होना ही जरूरी है? उनकी जरूरतें कहां से पूरी होती हैं ?

- धरती पर केवल इंसानों का ही जीवन नहीं है। यहाँ पेड़–पौधों का जीवन भी है। यहाँ तितलियों का जीवन भी है, मधुमक्खियों का भी जीवन है, केंचुओं का भी जीवन है। दीमक भी जीवन है। चिड़ियाएं भी जीवन हैं, घोड़े, बिल्ली और शेर भी जीवन हैं।
- बहुत सारे जीवों का जीवन तो अपनी आंखों से दिखाई दे जाता है, किन्तु कई छोटे–छोटे कीटाणु और सूक्ष्म जीव भी इस धरती पर हैं, जो नंगी आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। उनका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है।
- मिट्टी में छोटे–छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले कीटों को खतम करते हैं। इससे ही बीज अंकुरित हो पाता है और खेती हो पाती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक अच्छे कीटों को मार देते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और खेत में ज्यादा बीमारी पनपती है।
- आप सोचिए कि यदि पेड़ न हों, तो पत्तियां मिट्टी में सड़ कर खाद नहीं बनाएंगी, तब क्या होगा ?

- हमें आपको औषधियां कहाँ से मिलती हैं ? जी हाँ औषधीय पौधों से, लेकिन जिस तरह से जैव–विविधता खत्म हो रही है, इससे औषधीय पौधे भी खत्म हो रहे हैं।
- यदि पेड़ न होंगे तो मिट्टी को बारिश–बाढ़ में बाँध कर कैसे रखा जाएगा ? जब मिट्टी बह जाएगी, तब खेती कैसे होगी ?
- जब मिट्टी बह जाएगी और नदियों के किनारे टूट जाएंगे, तब पानी सब तरफ फैल जाएगा।
- या फिर जब पानी रुकेगा नहीं और तेज धूप मिट्टी की नमी सोख लेगी, तब पानी के जीव कहां बच पाएंगे?
- यदि केंचुआ न होगा तब मिट्टी को गड्डम–गड्ड कौन करेगा ?
- यदि मधुमक्खी न हो तब परागण कैसे होगा और फूलों में से उनका रस कैसे निकलेगा ?
- यदि घास न होगी, तो गाय और हिरन क्या खाएंगे ?
- शेर और बाघ की जिंदगी के लिए घांस का होना अनिवार्य है। क्या ये घास खाते हैं ? जब हिरन और दूसरे जानवर बिना घास के जिन्दा नहीं रह पाएंगे, तो क्या शेर और बाघ जिन्दा रह पाएंगे ?

इसका मतलब यह है कि धरती पर जानवरों–पक्षियों–कीटों–पेड़ पौधों–सूक्ष्म जीवों–नदी–पहाड़ों–जंगल–वनस्पतियों का जीवन एक–दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक का भी यदि जीवन खत्म हुआ तो पूरा जीवन चक्र टूट जाएगा।

जैव–विविधता का मतलब है सभी पौधों, सभी प्राणियों, सभी जानवरों और सभी सूक्ष्म जीवों का जीवन। जैव विविधता के संरक्षण का मतलब है हम यह सुनिश्चित करें कि अपनी जरूरतें पूरी करते समय हम इन सभी के जीवन को नुकसान न पहुंचाएं। आज की स्थिति में जिस तरह से विकास हो रहा है, उसके कारण कई तरह के पेड़–पौधे, जीव–जानवरों, कीटों की प्रजातियां ही ख़तम हो गयी हैं। इससे प्रकृति की व्यवस्था टूट रही है और मानव जीवन पर भी संकट आ रहा है।

वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो–डि–जेनेरियो में दुनिया के देश जैव–विविधता पर आ रहे संकट पर बात करने और कुछ पहल करने के लिए इक्कट्ठा हुए। इस बैठक को जैव–विविधता पर सम्मेलन (कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी–1992) कहा जाता है। इस सम्मेलन में सभी ने तय किया था कि सभी देश जैव–विविधता के संरक्षण, जैव–विविधता के टिकाऊ और जिम्मेदार उपयोग और जैव विविधता के लाभ की समान साझेदारी के लिए व्यवस्था बनाएंगे। इसी सन्दर्भ में भारत सरकार ने जैव विविधता कानून, 2002 (बॉयोलाजिकल डायवर्सिटी एक्ट, 2002) बनाया।

मध्यप्रदेश में जैव–विविधता

भारत में जैव–विविधता के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं – पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्य जहाँ जैव–विविधता आदर्श रूप में पाई जाती रही है। मध्यप्रदेश जहाँ स्थित है, वह वास्तव में पश्चिमी और उत्तर–पूर्वी भारत के इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते का अहम केंद्र है। मध्यप्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहाँ की जैव–विविधता गर्व करने लायक है और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, घाटियाँ भी हैं, बीहड़ भी हैं और पठार भी। यहाँ चार तरह के जंगल हैं। इसे बाघों का राज्य कहा जाता है। यहाँ 20 तरह के सांप मिलते हैं।

क्या आप जानते हैं यहाँ पेड़–पौधों की 5000 किस्म की प्रजातियां हैं ? 500 तरह की चिड़ियाएँ–पंछी हैं ? 180 तरह की मछलियाँ हैं ? धान की हजारों तरह की किस्में हैं। 43 आदिवासी समुदाय हैं। समाज में सदियों से चली आ रही पारंपरिक उपचार व्यवस्था का आधार रही हैं, यहाँ पाई जाने वाली 1000 तरह की औषधीय वनस्पतियां।

समुदाय की भूमिका

पारंपरिक रूप से जैव–विविधता का संरक्षण समाज ने ही किया है क्योंकि उसे इसके महत्व का ज्ञान रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की जद्दोजहद में समाज ने जैव–विविधता में से ही रास्ते निकाले हैं। अपने अनुभवों से लोगों ने यह जाना कि कौन सी वनस्पति किस तरह की बीमारी में कारगर साबित होगी। यही कारण है कि आदिवासी समुदायों में तो प्रकृति को ही अपना आराध्य माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से शोषण हुआ है, उससे एक तरफ तो बीमारियों, पीने के पानी और असुरक्षा की समस्या खड़ी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ जिस जो जैव–विविधता हमें इन संकटों से निपटने में मदद कर सकती थी, उसके अस्तित्व पर भी संकट गहराया है।

कानूनी व्यवस्था में समुदाय की भूमिका – स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी

स्वाभाविक है कि समुदाय को अब जैव–विविधता के संरक्षण की जिम्मेदारी एक बार फिर से अपने हाथ में लेना होगी। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका केन्द्रीय नहीं है, केंद्र में तो समुदाय ही है। वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश जैव–विविधता नियम, 2004 बनाए।

इस व्यवस्था के तहत स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी (यानी समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला रजिस्टर) बनाए जाने का प्रावधान है। इस पंजी को बनाने का मुख्य मकसद स्थानीय जैव–विविधता से सम्बंधित ज्ञान को लोकहित के नजरिए से दर्ज करना है। इसके साथ ही जैव–विविधता से सम्बंधित सैंकड़ों सालों के अनुभवों से अर्जित स्थानीय समुदाय को ज्ञान को भी दर्ज किया जाना है। स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता,

उनके उपयोग और उपयोगिता, औषधीय गुणों, खाद्य–पोषण सुरक्षा से जुड़े पहलुओं, उत्पादित और अनुत्पादित खाद्य सामग्री के बारे में जानकारी दर्ज की जाना चाहिए।

यह पंजी एक सामुदायिक दस्तावेज है, जिससे स्थानीय जैव–विविधता की व्यापकता, मौजूदा स्थिति, इससे सम्बंधित गहरे ज्ञान की व्यवस्था, उनका उपयोग और संरक्षण की सामुदायिक व्यवस्था को जाना और समझा जा सकेगा।

इस दस्तावेज का उपयोग समुदाय और स्थानीय निकाय जैव–विविधता के संरक्षण के लिए योजना बनाने में कर सकेंगे। केवल जानकारी हासिल करना इसका मकसद नहीं है, बल्कि संसाधनों के संरक्षण की सामुदायिक व्यवस्था बनाने में इसका रचनात्मक उपयोग किया जा सकेगा। नए सन्दर्भों में हम उन अवसरों को भी पहचान सकेंगे, जिनसे समुदाय की आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि समुदाय के अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स) को सुरक्षित करने के नजरिए से भी यह एक महत्वपूर्ण पहल है, ताकि कोई और इस ज्ञान पर एकाधिकार हासिल करने की कोशिश न करे।

स्थानीय जैव विविधता की लोक पंजी

इस पंजी में स्थानीय जैव–विविधता और उसे मानवीय समाज के रिश्तों को दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से निम्न बिंदु शामिल होंगे –

- प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता पर आधारित आजीविका की स्पष्ट और विस्तृत जानकारी
  जैसे – महुआ इकठ्ठा करना, मछली पालन, आंवला इकठ्ठा करना आदि
- स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता
  जैसे – बारिश का मौसम, बारिश की मात्रा, तापमान आदि
- प्रजातियों की और आनुवंशिक विविधता
  जैसे – पेड़ों, वनस्पतियों, जानवरों, पंछियों की कौन–कौन सी प्रजातियां मिलती हैं?
- घरेलू उपयोग के लिए जैव विविधता, जिसमें पालतू पशुधन शामिल है।
  जैसे – गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, गधे के बारे में जानकारी और घरेलू उपयोग की वनस्पतियां कौन सी हैं, उनके उपयोग और उनकी प्रजातियां कौन सी हैं ?
- जंगली फूलों और वनस्पतियां की विविधता
  जैसे – वहां स्थानीय क्षेत्र में कौन कौन से जंगली फूल और वनस्पतियां मिलते है, कौन सी प्रजाति के हैं? क्या उनका कोई उपयोग होता है? यदि हाँ तो क्या ?
- जलीय वनस्पतियों की विविधता

जैसे – स्थानीय नदी, नालों, तालाबों में कौन से जलीय वनस्पतियां मिलती हैं ? उनका क्या उपयोग होता है ? उनका महत्व क्या है ?

- जलीय जीवों की विविधता

  जैसे – स्थानीय नदी, नालों, तालाबों में कौन से जलीय जीव मिलते हैं ? उनका क्या उपयोग होता है ? उनका महत्व क्या है ?

- जैव–विविधता और संस्कृति के बीच के परस्पर रिश्ते

  जैसे – क्या पेड़ों, जंगल, नदी, जमीन, पशुओं से समुदाय के कोई आध्यात्मिक विश्वास जुड़े हुए हैं ? क्या त्योहारों से उनका कोई जुड़ाव है ?

- जैव विविधता से जुड़ा हुआ सामुदायिक ज्ञान

  जैसे – पशुओं, कीटों, वनस्पतियों, पेड़ों आदि के बारे में समुदाय की जानकारी क्या है ? समुदाय में मुख्य रूप से किसे ज्यादा जानकारी है ? क्या वह जानकारी नयी पीढ़ी को दी जा रही है ?

- जैव विविधता से जुड़ा हुआ सामुदायिक व्यवहार

  जैसे – पशुओं, कीटों, वनस्पतियों, पेड़ों आदि के बारे में समुदाय के व्यवहार क्या है ? इन व्यवहारों से सम्बंधित सिद्धांत और नियम कौन से हैं ? क्या वह इस व्यवहार की जानकारी नयी पीढ़ी को दी जा रही है ?

- जैव विविधता और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए पहलू

  जैसे – जैव–विविधता का संरक्षण करने की समुदाय आधारित व्यवस्था क्या है ? समुदाय के द्वारा बनाए गए नियम कौन से हैं ? समुदाय में कौन मुख्य भूमिका निभाता है ?

- जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामुदायिक योजना

  जैसे – अपने आस पास के क्षेत्र में उपलब्ध या फिर लुप्त हो रही जैव–विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए समुदाय के साथ मिलकर एक योजना बनाएँ।

जैव विविधता की लोक पंजी और जैव–विविधता प्रबंधन समिति

जैव विविधता कानून, 2002 के मुताबिक जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के स्तर पर जैव–विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए।

हर समिति में एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे, जिन्हें स्थानीय निकाय नामांकित करेंगे। इस समिति में एक तिहाई महिलाएं और 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बंधित प्रतिनिधि होना चाहिए।

कानून के प्रावधानों के मुताबिक जैव–विविधता प्रबंधन समिति ही जैव विविधता की लोक पंजी बनाएगी। समिति को अपने क्षेत्र में आने वाले सभी स्रोतों को दायरे में लेते हुए जैव–विविधता से सम्बंधित जानकारियों, ज्ञान और सम्बंधित पहलुओं को दर्ज करने का अधिकार है।

जैव–विविधता की लोकपंजी के प्रपत्र

गांव की जानकारी

गांव का नाम	तहसील		थ्जला	
जिला मुख्यालय से दूरी	ब्लॉक मुख्यालय से दूरी		भूगोलीय संरचना (पहाड़ियां, पठार, मैदानी आदि)	
जलवायु और मौसम	जनसंख्या		पुरुष जनसंख्या	
महिला जनसंख्या	अनुसूचित जाति संख्या		अनुसूचित जनजाति संख्या	

जैव विविधता से जुड़ी हमारी आजीविका (रोजी–रोटी)

सं.क्र.	गतिविधियां	गतिविधि से कितने परिवार जुड़े हैं?	गतिविधियों का चक्र – मौसम और महीने	परिवार		समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय
				गांव वाले	बहर से आने वाले	
1	खेती एवं संबंधित कार्यों से सम्बंधित गतिविधियां					
2	पशुपालन से से सम्बंधित गतिविधियां (मत्स्य पालन के साथ)					
3	जंगल से सम्बंधित गतिविधियां					

4	कारीगरी से सम्बंधित गतिविधियां					
5	अन्य सेवाओं से सम्बंधित गतिविधियां (जैसे – जैव विविधता संबंधित आजीविका के साधन)					
6	काम के लिए पलायन					
7	मजदूरी और इससे सम्बंधित गतिविधियां					

इस तालिका के आधार पर हमें यह अध्ययन करना है कि गांव में कुल कितने परिवार हैं ? आजीविका के लिए मुख्य रूप से वे किन कामों / क्षेत्रों पर निर्भर हैं ? जैव–विविधता से मुख्य आजीविका का क्या और कैसा जुड़ाव है ? उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में साल भर में से कितने दिनों / महीनों के लिए रोजगार मिलता है ?

पारिस्थितिकीय विविधता –

इलाकों का वर्गीकरण

सं.क्र.	इलाके (खेती / जल / जगंल / पड़ती जमीन आदि)	स्थानीय नाम	लंबाई– चौड़ाई और गहराई ? (अनुमानित आकार एंव संख्या)	मिल्कियत	आजीविका से जुड़ी गतिविधि	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

प्राकृतिक भू दृश्य – जल स्रोत परिदृश्य का विवरण –

सं.क्र.	उच्च प्राथमिकता वाले इलाके का विवरण	स्थानीय भाषा में नाम	अनुमानित क्षेत्र	आजीविका से जुड़ी गतिविधियां	इससे जुड़ी हुई प्रजाति	विगत 10 वर्षो में बदलाव	बदलाव का कारण	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

प्रजाति और उत्पत्तिमूलक– अनुवांशिक विविधता –

कृषि की विविधता :

सं. क्र.	फसल (गेहूं, चावल)	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	किस्में	अंकुरण में मदद करने वाले कीट / जीवाणु का चरित्र और पहचान	कितने क्षेत्र में बोई जाती है	बुआई की ऋतु एवं समय	प्रति एकड़ अनुमानित उत्पादन	उपयोग / विशेष गुण	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

कृषि में सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली प्रजातियां/फसलें –

सं.क्र.	फसल	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	किस्म	अंकुरण में मदद करने वाले कीट–जीवाणु का चरित्र और पहचान	कृषि–जलवायु का वह क्षेत्र कौन सा है, जिसमे फसल होती है एवं बुआई का क्षेत्रफल	मौसम	कितने समय की फसल है ?	उत्पादन (टन)	उत्पादकता (किलो ग्राम प्रति हेक्टर)	उपयोग (औषधीय उपयोग के साथ)	विगत 10 वर्षो मे बदलाव व स्थिति	बदलाव का कारण

समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का नाम और परिचय –

सभी पालतू पशुओं की विविधता –

सं.क्र.	पालतु पशुओं का नाम मवेशी (गाय, भैंस, बकरी, भेड) सुअर, मुर्गा, मुर्गी, गधा और अन्य	प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	नस्लें	वर्णन उपलब्ध नहीं	संख्या	उत्पादन /उपलब्धता कितनी होती है ?	सेवाओं में उपयोग (खेती, परिवहन, भोजन, सांस्कृतिक व्यवहार या अन्य)	स्थिति (पर्याप्त उपलब्ध है/दुर्लभ/विलुप्त प्राय/संकट में/अन्य)	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

उच्च प्राथमिकता वाले पालतू पशुओं की प्रजाति की जानकारी –

सं. क्र.	पालतु पशुओं का नाम मवेशी (गाय, भैंस, बकरी, भेड) सुअर, मुर्गा, मुर्गी, गधा और अन्य	प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	नस्लें	वर्णन उपलब्ध नहीं	संख्या	उत्पादन/उपलब्धता कितनी होती है ?	सेवाओं में उपयोग (खेती, परिवहन, भोजन, सांस्कृतिक व्यवहार या अन्य)	स्थिति (पर्याप्त उपलब्ध है/दुर्लभ/विलुप्तप्राय/संकट मे/अन्य)	समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय

जंगल की विविधता : वनस्पति की जानकारी (वनस्पति–पेड़, पौधे, झाड़ी, बेल, कंद–मूल, घास, लताएं आदि)

सं. क्र.	वनस्पति का स्थानीय नाम	प्रजाति	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	भाग (किस भाग का उपयोग होता है?)	उपयोग (किस काम में आता है?)	उत्पादन कितना होता है?	स्थिति क्या है (दुर्लभ/विलुप्तप्राय/संकट में)

समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –

उच्च प्राथमिकता वाले जंगल और वहां मिलने वाली वनस्पति की प्रजाति की जानकारी –

सं. क्र.	वनस्पति का स्थानीय नाम	प्रजाति	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	जुडे हुये इलाके (जंगल / खेती / पड़ती जमीन / नदी आदि)	भाग (किस भाग का उपयोग होता है?)	उपयोग (किस काम में आता है)	उपयोगकर्ता	उत्पादन	विगत 10 वर्षों मे बदलाव	बदलाव का कारण

समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –

वन्य प्राणी की विविधता (स्तनपायी, रेंगनेवाले जल–स्थलचर, चिड़िया, मछली, कीट आदि)

सं.क्र.	वन्यप्राणी/प्रजाति का स्थानीय नाम	प्रजाति का वैज्ञानिक नाम	जनसंख्या	स्थिति (दुर्लभ/विलुप्तप्राय/संकट मे)
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –				

उच्च प्राथमिकता वाले वन्य प्राणी की प्रजाति की जानकारी

सं. क्र.	वन्यप्राणी / प्रजाति का स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	जुड़े हुए इलाके, जहां पाया जाता है। (जंगल / खेती / पड़ती जमीन / नदी आदि किस तरह के भौगोलिक क्षेत्र और परिस्थिति मे पाया जाता है?	वर्तमान मौजूदगी (ज्यादा / मध्यम / कम)	विगत 10 वर्षो मे बदलाव	बदलाव का कारण
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –						

जैव विविधता और संस्कृति

जैवविविधता से जुड़े त्योहार/रीति/रिवाज

रीति/रिवाज	त्योहार	महीने	विवरण	कौन सी प्रजातियों का उपयोग करते है	इसके पीछे क्या मान्यता है?	क्या प्रभाव है जैव विविधता पर?
समुदाय में इसके बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का नाम और परिचय –						

जैवविविधता से जुड़ी लोक कथाएं / लोकगीत / मुहावरे / कहावतें

लोक कथा / लोकगीत / मुहावरे / कहावतें – संक्षेप में	जैव–विविधता से जुड़ाव	समुदाय में लोककथा / लोकगीत / मुहावरों / कहावतों की वर्तमान स्थिति

समुदाय में जैव–विविधता की जानकारी और जानकार लोग

सं.क्र.	जानकार लोगों के नाम	किस तरह का ज्ञान ?	बांटने योग्य ज्ञान	ज्ञान, जो गुप्त रखना चाहते है ?

प्रबन्धन और प्रबन्धन के मुद्दे – पुरानी परम्परागत व्यवस्थाएं एवं संस्थाएं

जुड़े हुए इलाके (जंगल/खेती/पड़ती जमीन/नदी आदि)	पुरानीं परम्परागत व्यवस्था	मौजूदा व्यवस्था	किसी बदलाव की जरूरत हो ?

नाम ....

हस्ताक्षर एवं दिनांक ....

जैव विविधता का संरक्षण और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
जैव विविधता के बारे में समुदाय के ज्ञान से सीखना	खुले मन से और बिना किसी पूर्वाग्रह के समुदाय के ज्ञान को जानने, समझने और उससे सीखने की प्रक्रिया शुरू करना। हो सकता है कि जैव–विविधता जैसे शब्द के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं हो, किन्तु इसके बारे में उनकी अपनी शब्दावली जरूरी है। उसे जानने की कोशिश करें। यह काम गांव/समुदाय के सयाने लोगों के साथ संयम से संवाद करके ही किया जा सकता है।
आजीविका के लिए जैव–विविधता के उपयोग को जानना	गांव/समुदाय के लोग आजीविका के लिए जैव विविधता पर कैसे और कितने निर्भर हैं, यह जानना। इसमें पशुपालन से लेकर लघु वन उपज और खेती तक के काम शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखें कि हमें आजीविका के हर क्षेत्र/काम से जैव–विविधता के सम्बन्ध को बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।
संस्कृति और विश्वास के लिए जैव–विविधता के उपयोग को जानना	गांव/समुदाय के लोग संस्कृति और विश्वास के लिए जैव विविधता पर कैसे और कितने निर्भर हैं, यह जानना। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार और विशेष अवसर के काम शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखें कि हमें हर संस्कृति और विश्वास से सम्बन्धित व्यवहार में जैव–विविधता के सम्बन्ध को बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।

जैव विविधता की उपलब्धता	गांव/पंचायत/समुदाय के क्षेत्र में किस तरह की और कितनी जैव विविधता है, इसका आंकलन करना। इसके लिए हम प्रारूपों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैव विविधता की मौजूदा स्थिति	यह जानना कि जैव विविधता की मौजूदा स्थिति क्या है ? क्या जैव-विविधता सुरक्षित है या संकट में है ?
ग्राम पंचायत के स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समिति का गठन और उनका प्रशिक्षण करना	जैव-विविधता कानून के तहत ग्राम पंचायत के स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समिति का गठन करवाएं और उनका प्रशिक्षण करवाकर लोक पंजी बनवाएं और संरक्षण की प्रक्रिया शुरू करवाएं।
किशोर उम्र के बच्चों के साथ संवाद	आप गांव/समुदाय के किशोर उम्र के बच्चों के साथ जैव-विविधता के विषय पर संवाद करें और गांव/आसपास जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण करने में उन्हें शामिल करें। गांव/समुदाय के सयाने लोगों से उनका संवाद करवाएं।
स्कूल में जैव-विविधता पर सत्रों का आयोजन	स्थानीय जैव-विविधता की जानकारी और अध्ययन के आधार पर स्थानीय स्कूल में इस विषय पर संवाद का आयोजन करें।
जैव-विविधता पर ग्राम सभा की बैठक	स्थानीय जैव-विविधता की जानकारी और अध्ययन के आधार पर स्थानीय स्कूल में इस विषय पर संवाद का आयोजन करें।



मध्य प्रदेश-गान

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है।
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

वन्दे मातरम्

सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्॥
शस्य-श्यामलां, मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले।
अबला केनो मा एतो बले।
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमलां कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम् .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

Centre for Community Leadership Development Studies
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) - 485 334
Phone : 07670 - 265622, E-mail : cmcldpcourse@gmail.com
www.cmcldp.org